

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या-180 / 2019
के साथ
आई०ए० संख्या-5877 / 2019

रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

बनाम्

छीता हेम्रम उर्फ चिता हेम्रम एवं अन्य

.....विरोधी पक्षगण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताव के० गुप्ता

याचिकाकर्ता के लिए : श्री चंद्रजीत मुखर्जी, अधिवक्ता

ओ०पी० के लिए :

03 / दिनांक:06.07.2019

आई०ए० सं० 5877 / 2019

1. यह वादकालीन आवेदन इस याचिका को दायर करने में हुई 154 दिनों कीदेरी के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत दायर किया गया है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दोनों पक्षों ने इस मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और याचिकाकर्ता अगली लोक अदालत में तय राशि का भुगतान करने के लिए तैयार है।
3. सुना। सहायक शपथ पत्र के पैरा 3, 4 और 5 में बताये गए कारणों के मद्देनजर, पर्याप्त कारण और उचित स्पष्टीकरण दिया गया है। तदनुसार, हुई बिलंब की माफी की जाती है।
4. आई०ए० सं०-3434 / 2019 की अनुमति है।

सी0एम0पी0 सं0-180/2019

1. सुना। बताये गए कारणों के मद्देनजर, पर्याप्त कारण और उचित स्पष्टीकरण दिया गया है, तदनुसार, एम0ए0 सं0 138/2017 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है तथा इसे कार्यालय 13.07.2019 को आयोजित होने वाले लोक अदालत के पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करे।

(अमिताव के0 गुप्ता, न्याया0)